भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 990

10.02.2022 को उत्तर के लिए

देश में ई-अपशिष्ट प्रबंधन

990. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत पांच वर्षों में वार्षिक आधार पर कितना ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत विकसित देशों से ई-अपशिष्ट आयात करता है;

(ग) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी आयात की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और निर्यातक देशों के नाम क्या हैं; और

(घ) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्ष 2020 की उस रिपोर्ट के मद्देनजर जिसमें यह बताया गया है कि भारत ने वर्ष 2019-2020 में 1,014,961 टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न किया है जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-2019 की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सरकार द्वारा ई-अपशिष्ट के आयात को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत इक्कीस (21) प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) अधिसूचित किए गए हैं। ये अधिसूचित ईईई अपनी उपयोग अवधि समाप्त होने पर ई-अपशिष्ट बन जाते हैं। ई-अपशिष्ट के उत्सर्जन के आकलन हेतु इनपुट डेटा, केवल वित्तीय वर्ष 2017-18 से और केवल राष्ट्रीय स्तर के उत्सर्जन के संबंध में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ई-अपशिष्ट उत्सर्जन संबंधी सूचना वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए वित्तीय वर्ष-वार उपलब्ध है और नीचे तालिका में दी गई है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	उत्सर्जन (टन)
1.	2017-2018	7,08,445
2.	2018-2019	7,71,215
3.	2019-2020	10,14,961.2

(ख) से (घ) खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के आयात और निर्यात को इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत विनियमित किया जाता है। सरकार ने उक्त नियमों की अनुसूची VI (बेसल सं. क1180) में ई-अपशिष्ट को सूचीबद्ध करके दिनांक 04.04.2016 से देश में ई-अपशिष्ट के आयात को प्रतिबंधित कर दिया था। गत वर्षों में देश में ईईई की बिक्री में हुई वृद्धि के कारण ई-अपशिष्ट के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है।

****